

पत्रांक :-03/RUSA-SNA SPARSH-01/2024

झारखण्ड सरकार
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
(उच्च शिक्षा प्रभाग)

प्रेषक,

रामनिवास यादव (भा0प्र0से0),
निदेशक, उच्च शिक्षा।

केन्द्रांश

सेवा में,

अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, झारखण्ड, राँची।
अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी (उच्च शिक्षा),
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, झारखण्ड, राँची।
राँची, दिनांक 19/05/2025

विषय:-

राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (RUSA) अंतर्गत विभिन्न अव्यवों (Components) में स्वीकृत योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु SNA SPARSH प्रणाली के तहत भारत सरकार के द्वारा निर्गत Mother Sanction में केन्द्रांश मद में स्वीकृत राशि रु0 9,80,00,000/- (नौ करोड़ अस्सी लाख रुपये) मात्र के भुगतान हेतु आवंटन प्रदान करने के संबंध में।

प्रसंग :-
महाशय,

विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 21/बजट दिनांक 13.05.2025

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक एवं प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में वित्तीय वर्ष 2025-26 में राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (RUSA) अंतर्गत विभिन्न अव्यवों (Components) में स्वीकृत योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु SNA SPARSH प्रणाली के तहत भारत सरकार के द्वारा निर्गत Mother Sanction में केन्द्रांश मद में स्वीकृत राशि रु0 9,80,00,000/- (नौ करोड़ अस्सी लाख रुपये) मात्र के भुगतान हेतु निम्नवत् आवंटन प्रदान की जाती है-

क्र0	DDO एवं कोड	विपत्र कोड	आवंटित राशि
1	श्री सुधीर कुमार, अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी (DRNDEN046)	21C22020310279010678	60,30,000=00
2	श्री मनौवर आलम, अवर सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग (DRNSCT001)	21C22020310279010678	7,17,33,000=00
		21C22020378979010678	1,29,36,000=00
		21C22020379679010678	73,01,000=00
	कुल योग :-		9,80,00,000=00

2. उपरोक्त विमुक्त राशि का विकलन वित्तीय वर्ष 2025-26 की केन्द्र प्रायोजित स्कीम बजट के निम्नांकित शीर्ष -

(क) मुख्यशीर्ष-2202 सामान्य शिक्षा, 03-विश्वविद्यालय और उच्चतर शिक्षा, लघु शीर्ष-102-विश्वविद्यालयों को सहायता, उप शीर्ष-79- केन्द्र प्रायोजित योजना अंतर्गत राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान- (केन्द्रांश 60 : राज्यांश 40), विस्तृत शीर्ष-06 अनुदान, 78-पूँजी परिसम्पत्ति के सृजन हेतु अनुदान (विपत्र कोड-21C22020310279010678)

(ख) मुख्यशीर्ष-2202 सामान्य शिक्षा, 03- विश्वविद्यालय और उच्चतर शिक्षा, लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उप शीर्ष-79- केन्द्र प्रायोजित योजना अंतर्गत राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान- (केन्द्रांश 60 : राज्यांश 40), विस्तृत शीर्ष-06 अनुदान, 78-पूँजी परिसम्पत्ति के सृजन हेतु अनुदान (विपत्र कोड-21C22020378979010678)

(ग) मुख्यशीर्ष-2202 सामान्य शिक्षा, 03- विश्वविद्यालय और उच्चतर शिक्षा, लघु शीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना, उप शीर्ष-79- केन्द्र प्रायोजित योजना अंतर्गत राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान- (केन्द्रांश 60 : राज्यांश 40), विस्तृत शीर्ष-06 अनुदान, 78-पूँजी परिसम्पत्ति के सृजन हेतु अनुदान (विपत्र कोड-21C22020379679010678) मद से किया जायेगा।

3. स्वीकृत राशि की निकासी के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, श्री सुधीर कुमार, अवर सचिव (उच्च शिक्षा) (DRNEDN046) एवं श्री मनौवर आलम, अवर सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग (DRNSCT001) होंगे, जो संबंधित State Link Scheme के Drawing account से राशि की निकासी करेंगे।

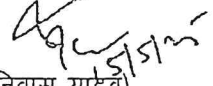
4. व्यय उपरान्त स्वीकृत राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार झारखण्ड एवं विभाग को ससमय उपलब्ध कराया जाय।

5. झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 174 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

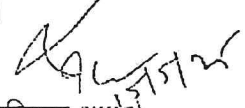
6. महालेखाकार का कार्यालय, अंकेक्षण/वित्त (अंकेक्षण) विभाग को विमुक्त एवं निकासी की गई राशि के अंकेक्षण का अधिकार होगा।

7. स्वीकृत्यादेश संख्या 21/बजट दिनांक 13.05.2025 की अन्य शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

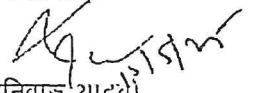
विश्वासभाजन,


(रामनिवास यादव)
निदेशक, उच्च शिक्षा।

ज्ञापाक-03/RUSA-SNA SPARSH-01/2024 ^{42/048} /रॉची, दिनांक- 19/05/2025
प्रतिलिपि -महालेखाकार का कार्यालय, झारखण्ड, रॉची/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, रॉची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


(रामनिवास यादव)
निदेशक, उच्च शिक्षा।

ज्ञापाक-03/RUSA-SNA SPARSH-01/2024 ^{42/048} /रॉची, दिनांक- 19/05/2025
प्रतिलिपि -विभागीय प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/ निदेशक, उच्च शिक्षा के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक, राज्य परियोजना निदेशालय, रूसा/लेखा शाखा, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग/ लेखा शाखा, उच्च शिक्षा निदेशालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित तथा नोडल पदाधिकारी को विभागीय पोर्टल पर अपलोड करने हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


(रामनिवास यादव)
निदेशक, उच्च शिक्षा।
